न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2018 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री जगन प्रसाद खण्डेलवाल
   एफबीओ मैसर्सः—सौंखिया ब्रदर्स, पुलिस थाने के पास, मण्डावर रोड महवा जिला दौसा।
2. श्री विश्वनाथ वर्मा पुत्र श्री शिवनारायण वर्मा नोमिनी,
   मैसर्सः—गिनोडिया एग्रो, जी—836, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया, जयपुर।
3. मैसर्सः—गिनोडिया एग्रो, जी—836, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया, जयपुर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री रमेश खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 10.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.01.2018 को दोपहर 12:30 बजे मैसर्सः—सौंखिया ब्रदर्स, पुलिस थाने के पास, मण्डावर रोड जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री जगन प्रसाद खण्डेलवाल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक रैक में करीबन 30 पाउच धनिया पाउडर(लहर) एगमार्क 200 ग्राम वजन में पैक आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जांच हेतु 12 मूल पाउच 200 ग्राम धनिया पाउडर(लहर) एगमार्क खरीदा। जिसकी कीमत 3[illegible] नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये क्रयशुदा धनिया पाउडर(लहर) एगमार्क को तीन—तीन पाउच के चार पैकिट बनाकर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर पैकिट पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—1830 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:34 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पैकिटो पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ. बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 19.01.2018 को खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.01.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 23.01.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लहर) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./70/एक्ट/2018/165 दिनांक 31.01.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लहर) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। तलबी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित आया एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बहस के दौरान उपस्थित नहीं आये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./70/एक्ट/2018/165 दिनांक 31.01.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लहर) का जो नमूना लिया गया था। उक्त नमूने के लेबल पर **BEST BEFORE 8 MONTHS FROM <u>THE DATE OF PACKING</u>** प्रिन्ट किया हुआ था, जिसके स्थान पर **BEST BEFORE 8 MONTHS FORM PACKAGING/MANUFACTURE** अंकित होना चाहिये था। नमूने के लेबल पर मिथ्या जानकारी अंकित होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लहर) को मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लहर) के लेबल पर मिथ्या जानकारी अंकित कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे ताकि अप्रार्थी अभियुक्त भविष्य में [illegible] न [illegible]।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जवाब [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लहर) का [illegible] मिसब्राण्ड पाया गया है। हमने यह माल 4.10.2017 को गिनोडिया [illegible] से बिल संख्या [illegible]T/1286 से लिया था। जैसा माल आया था उसी में से हमने नमूना दिया था। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण से मुक्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 13:20:34 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./70/एक्ट/2018/165 दिनांक 31.01.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लहर) का नमूना लेबल पर मिथ्या जानकारी अंकित होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लहर) का आमजन को विक्रय किया है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ विक्रय किये जाने पर जुर्माना निर्धारित किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लहर) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री जगन प्रसाद खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्सः– सौंखिया ब्रदर्स, पुलिस थाने के पास, मण्डावर रोड महवा जिला दौसा, अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री विश्वनाथ वर्मा पुत्र श्री शिवनारायण वर्मा नोमिनी, मैसर्सः–गिनोडिया एग्रो, जी–836, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया, जयपुर एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 मैसर्सः–गिनोडिया एग्रो, जी–836, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया, जयपुर पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 10.08.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/2022/ दिनांकः– 10.08.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री जगन प्रसाद खण्डेलवाल
   एफबीओ मैसर्सः–सौंखिया ब्रदर्स, पुलिस थाने के पास, मण्डावर रोड महवा जिला दौसा।
4. श्री विश्वनाथ वर्मा पुत्र श्री शिवनारायण वर्मा नोमिनी,
   मैसर्सः–गिनोडिया एग्रो, जी–836, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया, जयपुर।
5. मैसर्सः–गिनोडिया एग्रो, जी–836, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Khilari
Meena
Date: 2022.08.26 13:20:34 IST
Reason: SelfAttested

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा